राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक : प. 6(45)/प्र.सु./अनु.–3/2007 दिनांक 10-5-2013

आदेश

राज्य में अखाद्य तेल एवं औषधीय पेड़–पौधों को एवं उनसे बायोडीजल उत्पादन का बढ़ावा देने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः प.6(45)/प्र.सु./अनु.–3/2007 दिनांक 29.09.2007 के द्वारा माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (Empowerd Committee) एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 07.08.2009 द्वारा राज्य में बंजर भूमि विकास हेतु राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किया गया था।

राजस्थान कार्यविधि नियम के उप नियम 53 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में एक उप समिति (Sub Committee) का गठन किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय एतद् स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र.सं.	सदस्य	पद
1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
7.	शासन सचिव, वित्त (व्यय)	सदस्य
8.	शासन सचिव, वन विभाग	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण	सदस्य सचिव

इस समिति का गठन राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण के अन्तर्गत होगा, जिसका प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग होगा।

यदि कार्यक्रम के कार्यों/क्रियान्वयन हेतु किसी विभाग से संबंधित निर्णय लिया जाना है, तो संबंधित विभाग के शासन सचिव को आवश्यकतानुसार उप समिति की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकेगा।

उच्च अधिकार प्राप्त समिति राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण की समस्त शक्तियां निम्नांकित विषयों के संबंध में उक्त समिति को एतद् द्वारा प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है :–

1. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि के विकास हेतु विस्तृत दीर्घकालीन योजना तैयार करना।
2. पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं निजी कम्पनियों की कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चत करना।
3. बंजर भूमि विकास हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं विकास कार्य करवाना।
4. क्षमतावर्धन /जागरूकता/ तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा बंजर भूमि का उपयोग सुनिश्चित करना।
5. बंजर भूमि विकास के लिए पेड़ पौधों को उगाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन करना।
6. बंजर भूमि विकास हेतु उपयुक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. पौधशाला /वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था करना।
8. रतनजोत के बीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करना।

D/JSB/R.K.Sharma/F. 6(45)P.Su. -07

9. कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं, बैंक अधिकारियों द्वारा उद्यमियों एवं किसानों को तकनिकी प्रशिक्षण एवं मार्ग दर्शन देने संबंधी कार्य।
10. रतनजोत की खेती से संबंधित तकनीकी साहित्य का वितरण।
11. बायोफ्यूल पॉलिसी की क्रियान्विती एवं नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु।
12. अन्तर विभागीय मामलों का निराकरण संबंधी।
13. नीति संबंधी मामलों पर निर्णय/अनुशंषा
14. सामाजिक वानिकी (ईंधन व चारा उत्पादन), चारागाह विकास, बायोडीजल के उत्पादन हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती एवं परियोजना आदि को प्रोत्साहन करना।
15. बंजर भूमि विकास हेतु लगाये गये पौधों से प्राप्त उत्पादन के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
16. राज्य में मौजूदा बंजर भूमि उपयोग की समीक्षा कर भूमि की क्षमताओं के अनुसार उसके उपयोग की राज्य सरकार को सिफारिश करना।

उपरोक्त उप समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आवश्यक रूप से आयोजित होगी, किन्तु आवश्यकतानुसार दो बार से अधिक भी आयोजित की जा सकेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण इस समिति के सदस्य सचिव होंगे एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
6. कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. जिला कलक्टर, समस्त जिले।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।
11. रक्षित पत्रावली।